

Govt. of NCT of Delhi
Office of the Registrar Cooperative Societies
Parliament Street, Old Court Building, New Delhi-110001

No.F.47/127/Policy/RCS/2011/195-205

Dated: 07-04-2011

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by section 137 of the Delhi Cooperative Societies Act,2003(Delhi Act 3 of 2004), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi makes the following rules to amend the Delhi Cooperative Societies Rules,2007,namely:-

1. Short title and commencement.
 - (i) These Rules may be called the Delhi Cooperative Societies(Amendment) Rules,2010.
 - (ii) They shall come into force on the date of their publication in Delhi Gazette
2. Amendment of Rule 157:- In rule 157 of the Delhi Cooperative Societies Rules,2007,sub-rule(5) shall be omitted.

01/c.c
07/04/2011

By order and in the name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi


(S.K.JHA)
ADDL.REGISTRAR(POLICY)

No.F.47/127/Policy/RCS/2011/

Dated:

Copy for information and necessary action to:

- 1.The Principal Secretary, GAD,GNCT of Delhi, Delhi Sectt., New Delhi with 02 copies for its publication in Delhi Gazette Part-IV(Extra-ordinary) today itself.
- 2.The OSD to LG, Delhi, Raj Niwas,Delhi
- 3.The Secretary to Minister of Cooperation, GNCT of Delhi, Delhi Sectt., New Delhi.
- 4.The OSD to Chief Secretary, GNCT of Delhi, Delhi Sectt., New Delhi
- 5.The Principal Secretary(Law & Judl.),GNCT of Delhi, Delhi Sectt., New Delhi.
- 6.The Principal Secretary(Services),GNCT of Delhi, Delhi Sectt., New Delhi.
7. PS to Registrar Cooperative Societies, GNCT of Delhi. Parliament Street, New Delhi.
8. A.R.(Computer Cell) ,Office of the Registrar Cooperative Societies, GNCT of Delhi for placing the Notification on the website of the department.
9. Guard file

Programmer please
planning for web location
in the website
Sun 11/4


(S.K.JHA)
ADDL.REGISTRAR(POLICY)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग -चार में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
सहकारिता विभाग, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली- 110001.

सं0फा0: 47 / 127 / आरसीएस / नीति / 2010 / 195-205


दिनांक: 07-04-2011

अधिसूचना

सं0फा0: 47 / 127 / आरसीएस / नीति / 2010 / दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 2003 (2004 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 137 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली सहकारी समितियां नियमावली, 2007 में संशोधन के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-
 - (1) इन नियमों को दिल्ली सहकारी समितियां (संशोधन) नियमावली, 2010 कहा जाये ।
 - (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।
2. नियम 157 का संशोधन :- दिल्ली सहकारी समितियां नियमावली, 2007 के नियम 157 के उपनियम (5) को हटाया जायेगा ।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल के
आदेश से और उनके नाम पर


(एस0के0झा)

अतिरिक्त पंजीयक (नीति)

सं0फा0: 47 / 127 / आरसीएस / नीति / 2010 /

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दिल्ली राजपत्र भाग-4 (असाधारण) में प्रकाशनार्थ, एक अतिरिक्त प्रति सहित ।
2. विशेष कार्याधिकारी, उपराज्यपाल, राज निवास, दिल्ली ।
3. सचिव, सहकारी मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. प्रधान सचिव (विधि एवं न्याय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
6. प्रधान सचिव (सेवाएं), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
7. नि0 स0, सहकारी समितियां, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001
8. ए0 आर0 (कम्प्यूटर शाखा), को इस निवेदन के साथ प्रेषित किया जाता है कि वे इसे विभाग की वेबसाइट पर दर्शाएँ ।
9. गार्ड फाईल ।


(एस0के0झा)

अतिरिक्त पंजीयक (नीति)